चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/414
दिनांक : 10.5.2012

सचिव
बी0एल0 एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन,
लावड़ (मेरठ)

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0–23/सत्तर–2–2012–2(208)/2010, दिनांक 09.05.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **बी0एल0 एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन, लावड़ (मेरठ)** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत **बी0एड0** पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कमियों के विद्यमान होने के कारण **शैक्षिक सत्र 2012–13 से दिनांक 01.07.2012 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. बी0एड0 शैक्षणिक सत्र 2010–11 का परीक्षाफल अप्राप्त है।

उक्त के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि संदर्भगत महाविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2012–13 की सशर्त सम्बद्धता विस्तरण की अवधि में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2012–13 की संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि प्रश्नगत मामले में एन0बी0सी0 का प्रमाण पत्र प्राईवेट एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र नहीं है, इनमें यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधि0 अभियन्ता) का प्रमाण पत्र और अग्निशमन का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाण पत्र नहीं है तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाण पत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक

क्रमश..................2

20.05.2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा अन्यथा सशर्त सम्बद्धता विस्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्त पैरा 01 से 05 में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त शासन द्वारा इंगित विद्यमान उक्त कमियों को शिक्षण सत्र 2012–13 प्रारम्भ होने से पूर्व निराकरण कर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में आगामी होने वाली काउन्सिलिंग में संस्थान का नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं तदनुसार शासन को अग्रेतर कार्यवाही की संस्तुति करते हुए सूचित कर दिया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **बी0एल0 एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन, लावड़ (मेरठ)** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत **बी0एड0** पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त कमियों के विद्यमान होने के कारण **शैक्षिक सत्र 2012–13 से दिनांक 01.07.2012 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय/शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर दिये गये निर्देश अनुपालनीय होंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपकुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, बी0एड0 सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

C:\PUNIT\AFFIL_2 (837)

संख्या-सम्ब0-23/सत्तर-2-2012-2(208)/2010

प्रेषक,

डा0 जयदेव मित्रा,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 9 मई, 2012

विषयः-बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 में सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सम्बद्धता/3243, दिनांक 14.11.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन बी0एल0 एकेडमी आफ हायर एजूकेशन, लावड़ (मेरठ) को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित कमी के विद्यमान होने के कारण शैक्षिक सत्र 2012-13 से दिनांक 1.7.2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) बी0एड0 शैक्षणिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल अप्राप्त है।

2- अतः उक्त के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भगत महाविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2012-13 से सम्बद्धता की अवधि में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय :-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2012-13 की संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-

--2--

पाठन कराया जाएगा।

(3) संस्था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(5) यदि प्रश्नगत मामले में एन0बी0सी0 का प्रमाणपत्र प्राईवेट एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र नहीं है, इनमें यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधि0 अभियन्ता) का प्रमाण पत्र और अग्निशमन का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाण पत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.5.2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा संबद्धता का आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित शर्त के अलावा महाविद्यालय के संबंध में इंगित अन्य कमी, जो इस पत्र के प्रस्तर-1 में वर्णित है, के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षण सत्र 2012-2013 प्रारंभ होने के पूर्व उक्त कमी का निराकरण करा लिया जाएगा।

Director
B.L. Academy of Higher Education
Lawar Meerut

भवदीय,

(डा0 जयदेव मित्रा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-सम्ब0-23(1)/सत्तर-2-2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु **प्रेषित :-**

(1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर **क्षेत्रीय समिति,** ए-46, शान्तिपथ, तिलक नगर, जयपुर।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(4) सचिव/प्रबन्धक, बी0एल0 एकेडमी आफ हायर एजूकेशन, लावड़ (मेरठ)।
(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(7) निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री (श्री आलोक कुमार), उ0प्र0शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ज. मित्रा

(डा0 जयदेव मित्रा)

संयुक्त सचिव।